न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

केस संख्या :- 04/2021

स्योनारायण बनाम कैलाश वगैरा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31.12.2020	प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने पेश किया, रिपोर्ट सरिस्ता होकर पेश हुई प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जावे, प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कैवियट संख्या 75 दिनांक 30.12.2020 की पेश हुई जो संलग्न है। वकील प्रार्थी को सुना गया तो वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र आवश्यक नेचर का है, विवादित भूमि का कभी भी बेचान कर सकता है एवं नही भूमि का तकासमा हो रखा है एवं केवियट कर्ता पक्षकार भी नही है, ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें वकील वादी के कथन पर गौर किया व कैवियट एवं जमाबन्दी का अवलोकन किया तो कैवियट कर्ता जमाबंदी अनुसार खातेदार नही है, ऐसी स्थिति में कैवियट प्रस्तुत कर्ता के हितो का व हिस्सो का हमान रखते हुये स्थगन दिया जाना उचित समझते है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख 21.01.2021 तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 375, 424, 547, 54, 551, 552 किता 6 रकबा 3.83 है0 भूमि वाके ग्राम डाहर तहसील चाकसू में कैवियट कर्ता गणेशनारायण पुत्र मौहरपाल यादव निवासी भवानीपुरा के हितो व हिस्से को ध्यान में रखते हुये व हिस्से छोडते हुये एवं वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के हिस्से तक राजस्व रिकार्ड मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। इस बाबत् किसी प्रकार की आपत्ति हो तो हाजीर अदालत होकर अपना पक्ष पेश करे। अप्रार्थी गण की तलवी जारी कर पत्रावली दिनांक 21.01.2021 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	

375 रकबा 0.00

548 रकबा 0.13 ख0 नं0 551 रकबा 0.68 ख0 नं0 552 रकबा 0.10 कु